Downloaded for idaindore,org

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

नियत मूल्य पर पूर्ण-स्वामित्व अधिकार (Free-Hold) पर लॉटरी के माध्यम से संपत्ति के व्ययन हेत् आवेदन प्रपत्र

विज्ञापन क्रमांक 234

आवेदन प्रपत्र मूल्य (जी.एस.टी सहित)रूपये 590/-अहस्तान्तरणीय (Non Transferable)

प्रति,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर (म.प्र.)

आवेदन प्रपत्र क्रमांक...... आरक्षण श्रेणी.....


आवेदक का नाम 1..... 2.....

> आवेदक का पासपोर्ट आकार का छाया चित्र यहां चिपकाया जाए

महोदय.

निवेदन है कि विज्ञापन क्रमांक 234 दिनांक. 28.12.2020 के अंतर्गत मेरे द्वारा चयनित इस प्रपत्र के बिन्दु क. 15 के विकल्पों के तहत नियत मूल्य पर पूर्ण-स्वामित्व (Free-Hold) अधिकार पर निर्मित प्रकोष्ठ (Flat) आवंटित करने का कष्ट करें। अपेक्षित जानकारी निम्नानसार प्रस्तुत की जा रही है :

01.	आवेदक का नाम	:	1
			2
02.	पिता/पति का नाम	:	1
			2
03.	आवेदक की आयु	:	वर्ष
04.	पूरा पता	:	
			पिनकोड
05.	दूरभाष ∕ मोबाईल नंबर ∕ ई–मेल	:	(कार्यालय)
			ई–मेल
06.	कुल वार्षिक आय	:	रूपये
07.	यदि निजी व्यवसाय में हैं,तो उसका ब्यौर	राः	
	दूरभाष / मोबाईल नंबर / ई–मेल	:	(कार्यालय)
			ई–मेल
08.	निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार		
		:	हां / नहीं
09.	(अ) पंजीयन राशि का डी.डी. / बैंकर्स	:	डी.डी./बैंकर्स चेक क्रमांक
आवेदक	के हस्ताक्षर		



1

दिनांक. 28.12.2020

Downloaded for idaindore,org	2
चेक, इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में :	दिनांक बैंक का नाम
(ब) आवेदन प्रपत्र डाऊनलोड करने की ः	
दशा में रू.590 / –का डी.डी. / बैंकर्स	दिनांक
चेक, इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में :	बैंक का नाम

- 10. मैं/हम आश्वासन देता हूं/देते हैं कि यदि मेरा/हमारा आवेदन प्रपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम प्रकोष्ठ की बकाया अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान निर्धारित समय पर जमा कर दूंगा/देंगे।
- 11. मैं/हम आश्वासन देता/देत हैं कि मैं/हम शासन तथा प्राधिकरण द्वारा, समय–समय पर, बनाये गये नियमों/विनियमों का पालन करुंगा/करेंगे।
- 12. मैंने/हमने प्राधिकरण के प्रकोष्ठ के आवंटन से संबंधित निबंधन, शर्तों तथा नियमों को समझ लिया है तथा ये मुझे/हमें स्वोकार हैं।
- 13. मैंने/हमने मौके पर निर्मित संपत्ति का निरोक्षण कर लिया है, पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं/रहे हैं।
- 14. यदि आवेदन प्रपत्र के अंतर्गत दी गई कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिकरण को मेरे/हमारे आवेदन प्रपत्र को निरस्त करने तथा जमा की गई पंजीयन राशि को समपहृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 15. निम्नांकित विकल्प क्रमांक 1 से 5 अनुसार लॉटरी के पाँचों चक्र (राउँड) में से किसी भी चक्र (राउँड) में खुलने वाला कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक मुझ मान्य होगा। अन्यथा विकल्प–6 अनुसार कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक छुलने पर मुझे स्वीकार होगा तथा मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी।

()	0	N-	\	-	0	\	-		\	1-1
(निम्न	तालिका	म	आवेदक	स्वय	चयनित	पकाष्त	कमाक	का	<u>सल्ल</u> ख	कर)
(SILLA 1		1 11 131	A 11 0	20° 11 12		000	

विकल्प क्रमांक	प्रकोष्ठ क्रमांक
1	
2	
3	
4	
5	
6	उक्त पाँचों चक्र (राउँड) के बाद शेष कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक खुलने पर मुझे स्वीकार होगा।

- अनुलग्नक : 1. पंजीयन राशि का डी.डी. / बैंकर्स चेक
 - 2. डाऊनलोडेड आवेदन प्रपंत्र का डी.डी. / बैंकर्स चेक(यदि आवश्यक हो तो)
 - 3. निबंधन तथा शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति
 - 4. नोटरी प्रमाणीकृत शपथ–पत्र (Affidavit)
 - 5. आरक्षण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो)
 - 6. आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि
 - 7. बैंक रसीद

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक के हस्ताक्षर

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

नियत मूल्य पर पूर्ण-स्वामित्व (Free-Hold) अधिकार पर व्ययन के लिये निबन्धन तथा शर्तें

- एक : सामान्य शर्ते (General Terms)
 - सम्पत्ति के आवटन हेतु आवेदक को अपना आवेदन प्रपत्र विहित प्रारूप में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र विज्ञापन में उल्लखित समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
 - 2. विज्ञापन के अधीन प्रकोष्ठों के क्रमांक का आवंटन नियत मूल्य पर पूर्ण-स्वामित्व अधिकार (Free-Hold) पर लॉटरी प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। लॉटरी के पाँचों चक्र (राउण्ड) में से किसी भी चक्र (राउण्ड) में खुलने वाला कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक आवेदक को मान्य होगा। अन्यथा विकल्प–6 अनुसार कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक खुलने पर आवेदक को स्वीकार होगा तथा आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी।
 - 3. सम्पत्ति के लिए आवेदक को यह शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके/उनके द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत इससे पूर्व नियत दर/मूल्य पर कोई प्रकोष्ठ की प्राप्ति नहीं की गई है।
 - 4. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उस दशा में उसे इस संबंध में प्राधिकरण को लिखित में जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
 - 5. (अ) यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तारीख से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो आवेदक द्वारा पंजीयन राशि के रूप में जमा की गई राशि में से 10 प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात् शेष राशि आवेदक को लौटा दी जाएगी। आवेदन प्रपत्र का शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

(ब) यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विज्ञापन में उल्लेखित लॉटरी का आहरण किए जाने के उपरांत अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा पंजीयन राशि के रूप में जमा की गई राशि को समपहृत कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 7. जहां किसी विशिष्ट श्रणी के लिए आरक्षित संपत्ति के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो, वहां विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होगे। जहां आरक्षित श्रेणी की संपत्ति हेतु आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदनकर्ता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किय जाने पर नियमानुसार जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

अ.क्र.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
7	प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इ.वि.प्रा.
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/लोकतंत्र सेनानियों या उनके	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
	जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति के लिए	
9	सेना के अधिकारी / भूतपूर्व सेनाअधिकारी	जिला, सैनिक कल्याण बोर्ड
10	पत्रकार रिपोर्टर के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
11	दिव्यांगों के लिए	जिला मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन/मुख्य
		चिकित्सा अधिकारी
12	सांसद/विधायक के सदस्य के लिए	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

Downloaded for idaindore,org

दोः भुगतान की शर्ते (Payment Terms)

- सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की 25 प्रतिशत (आवेदन पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात शेष) राशि जमा करनी होगी।
- 2. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर रूपये 1000 / – के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) अनुबन्ध–पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जमा करनी होगी।
- आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की 25 प्रतिशत (आवेदन पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात शेष) राशि तथा अनुबन्ध–पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
- 4. जहां सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर उपरोक्त कंडिका 1 अनुसार भगतान जमा करने में असफल रहता है तो इस संबंध मे उक्त राशि जमा कराने बाबद समयवृद्धि हेतु लिखित आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है तो व्ययन नियम/व्ययन विनियम अनुसार अधिकतम 90 दिवस की समयावधि में देय अधिमूल्य राशि पर 15 प्रतिशत विलंब ब्याज की राशि के साथ जमा करना होगी ।
- 5. उपरोक्त अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर आवेदन प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आरक्षण को रद्द तथा आवेदन पंजीयन राशि को समपहृत कर सकेगा।
- (अ) प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि जमा उपरांत आवंटन पत्र में दर्शाई सुची अनुसार प्रीमियम की शेष 75 प्रतिशत राशि 08 किश्तों में 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ जमा करनी होगी।
 - (ब) संधारण राशि जमा करने का उल्लेख आवंटन पत्र में किया जावेगा।
 - (स) प्रकोष्ठ के प्रिमियम की 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर एवं निम्नानुसार संधारण शुल्क के भुगतान के पश्चात् ही कब्जा सौंपा जावेगा जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी :
 - (1) संधारण शुल्क :

(अ) इन्दोर नगर पालिका निगम के पत्र क्र. 1131 दिनांक 23.09.2020 से अधिभोग प्रमाण पत्र (Ocupancy certificate) प्राप्त होने की दिनांक से 2 वर्ष तक अर्थात दिनांक 22.09.2022 तक भवन के कामन सर्विसेस के रखरखाव एवं हाउस किपिंग, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि प्राधिकारी करेगा। जिस हेतु संधारण राशि रूपये 27.00 प्रतिवर्ग मी. प्रति माह देय होगी। 2 वर्ष की कुल सधारण राशि आवंटन के समय जमा करना होगी।

(ब) प्रकोष्ठ (Flat) के आंतरिक विद्युतिकरण का कार्य आंवटिती अपनी आवश्यकता अनुरूप स्वयं के व्यय पर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(2) पार्किंग सुविधा :

(अ) नवनिर्मित भवन में पार्किंग की सुविधा निःशुल्क रहेगी।

- 7. उपरोक्त बिंदु क्रमांक 6(अ) अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर आवेदन प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने मे असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा आवेदन पंजीयन राशि को समपहृत कर सकेगा।
- 8. आवंटन किये जाने के पश्चात् यदि प्राधिकरण संपत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा की गई रकम वापस की जाएगी।
- 9. (अ) जहां राशि का भुगतान किश्तों में किया जा रहा हो वहां विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार किश्तों का भुगतान आवंटिती द्वारा न किए जाने की दशा में

आवेदक के हस्ताक्षर

अथवा व्ययन नियम 2018/व्ययन विनियम के अनुसार विस्तारित अवधि की समाप्ति पर आवंटिती को आवंटन निरस्त किये जाने का नोटिस संपदा अधिकारो द्वारा दिया जावेगा।

(ब) तथापि, यदि आवंटिती प्राधिकरण के आवंटन निरस्त करने का नोटिस प्राप्त होने के एक माह में विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार समस्त लंबित किश्तें मय ब्याज एवं 10 प्रतिशत दांडिक ब्याज (संबंधित किश्त की देयता तिथि से) का भुगतान कर देता है, तो संपदा अधिकारी आवंटन निरस्त करने का अपना नोटिस वापस ले सकेगा।

परंतु आवंटिती द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उक्त राशि हेतु एक वर्ष की 4 किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी, किन्तु उक्त पर नियमानुसार 15 प्रतिशत विलंब ब्याज देय होगा ।

- (स) तथपि, यदि उपरोक्त उपनियम (ब) के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार भुगतान न किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने पर, प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम (अधिमूल्य) की 10 प्रतिशत राशि के बराबर राशि समपहृत कर ली जाएगी तथा शेष मूलधन की राशि आवंटिती को लौटा दी जाएगी। आवंटिती को इस समपहृत की गई राशि पर ब्याज का दावा करने की पात्रता नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में जमा ब्याज अन्य इत्यादि की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
- 10. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
- 11. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बढे हुवे क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना व्ययन नियम 2018/व्ययन विनियम के अनुसार की जावेगी ।
- 12. आवंटिती शासन, नगरपालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।